2017/00146

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2017 (बांसवाड़ा डिक्री)

मदनसिंह पिता गिरवरसिंह राजपूत, निवासी दानपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के बजाय :–

1. श्रीमती चन्द कुंवर बेवा मदनसिंह राजपूत, निवासी दानपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती साधना कुंवर पुत्री मदनसिंह (पत्नी प्रदीपसिंह), जाति राजपूत, निवासी दानपुर हाल निवासी रतलाम (म.प्र.)
3. श्रीमती सोना कुंवर पुत्री मदनसिंह (पत्नी राजेन्द्रसिंह), जाति राजपूत, निवासी दानपुर हाल निवासी अतमबर, जिला धार (म.प्र.)
4. श्रीमती अजय कुंवर पुत्री मदनसिंह (पत्नी भारतसिंह), जाति राजपूत, निवासी दानपुर हाल निवासी बोतलगंज, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
5. श्रीमती मोनिका कुंवर पुत्री मदनसिंह (पत्नी नागेन्द्रसिंह), जाति राजपूत, निवासी दानपुर हाल निवासी निमच (म.प्र.)
6. यशपालसिंह पिता मदनसिंह राजपूत, निवासी दानपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पिता शंकरलाल माहेश्वरी, जाति जैन, निवासी दानपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.) (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन
दिनांक 13.07.2016 प्र.सं. 18/2015

---/---

उपस्थित(वक्त बहस) 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री डी0 के0 निगम अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

---::---

निर्णय **दिनांक 20–02–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्र... अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 8... राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:09 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता गिरवरसिंह ने ग्राम दानपुर के सर्वे नंबर 709 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 19–07–1962 खोला जाकर वादी के पिता का नाम बहैसियत राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ। वादी अपने पिता गिरवरसिंह के समय से काबिज चला आ रहा है। वादी के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 के पिता शंकरलाल के पास उक्त आराजी में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि रूपयों की आवश्यकता होने से गिरवी रखा था तथा शेष 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर वादी व उसके पिता कृषि कार्य करते रहे। वादी अपने पिता के फोत होने पर पटवारी के पास गया तो पता चला कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जबकि वादी विवादित आराजी का एक मात्र खातेदार कृषक है। अतः विवादित आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि के खातेदार किशोरसिंह द्वारा उक्त आराजी में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 03–07–1978 को एवं शेष 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि दिनांक 30–09–1980 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता शंकरलाल के पक्ष में किया गया है, तब से प्रतिवादी अपने पिता के समय से काबिज चला आ रहा है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि विवादित आराजी रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की गयी है, जिसके संबंध में चाहे गये अनुतोष को पारित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 6 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13–07–2016 से प्रतिवादी संख्या 1 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद पोषणीय नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलार्थी/वादी ने इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23–03–2017 को प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:09 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री डी. के. निगम उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी होते ही दिनांक 22–12–2016 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी नकल दिनांक 20–02–2017 को प्राप्त होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज व मौखिक साक्ष्यों तथा तनकियों को नहीं बनाकर निर्णय पारित करने में भूल की है। तनकियात बनाने हेतु प्रकरण दिनांक 15–07–2016 को नियत था, किन्तु उसके पूर्व ही दिनांक 13–07–2016 को राजस्व लोक अदालत में बिना तनकियात बनाये व बिना दस्तावेजी साक्ष्य लिये निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट/वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधिवत तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी नंबर 709 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि के खातेदार गिरवरसिंह पिता किशोरसिंह द्वारा विवादित आराजी का रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 02–01–1971 [illegible]सिंह पिता झुजारसिंह के पक्ष में किया गया है, जिसके आधार पर जरिये [illegible]तरकरण संख्या 261 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:09 IST
Reason: SelfAttested

अ.-संभागीय अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

विवादित आराजी किशोरसिंह के नाम दर्ज हुई तत्पश्चात् उसके द्वारा रजिस्टर्ड बेचान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता शंकरलाल के पक्ष दिनांक 03–07–1978 व 03–09–1980 को किये जाने से वर्तमान में उक्त आराजी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राजेन्द्र कुमार के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों एवं उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरणों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होना मानते हुए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर वादी का वाद पोषणीय नहीं होना मानते हुए खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:09 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

मदनसिंह के बजाय श्रीमती चन्दकुंवर बेवा मदनसिंह राजपूत, नि0 दानपुर, तहसील छोटी सरवन व अन्य	बनाम	राजेन्द्र कुमार पिता शंकरलाल माहेश्वरी, जाति जैन, निवासी दानपुर, तहसील छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....19/2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....छोटी सरवन ..... मुकाम.....मुवर्खे.....13.....माह.....07.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20....माह.....02.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री मुकेश द्विवेदी....मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री डी. के. निगम

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20.....माह.....02.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फ़रीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:09 IST
Reason: SelfAttested